



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.04.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-216/2024 धारा 380,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी बासुचक जिला गाजीपुर को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-24.04.2025 को माननीय न्यायालय ACJ(JD-07) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त शुभम सिंह उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 380,411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास (06 माह 20 दिन) व कुल 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।